न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चंद जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 04/2019 ::

अपीलांटगण :–

रूपाराम पुत्र गोरधनलालजी जाति खारवाल निवासी ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर हाल निवासी 237–बी, बजरंगवाड़ी, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :–

1. छगनलाल उर्फ छगनलाल पुत्र गिरधारीलाल
2. पुखराज पुत्र लछाजी
3. प्रमोदकुमार पुत्र बस्तीराम
4. कैलाश देवी पत्नी बस्तीराम तमाम बालिग, जातिगण खारोल (खारवाल) निवासीगण ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर हाल निवासी बजरंगवाड़ी, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)
5. ललिता पुत्री बस्तीराम (पत्नी नारायणलाल) जाति खारोल (खारवाल) निवासी ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर हाल ससुराल संतोषी नगर, छावनी, शिवंगज, तहसील शिवंगज जिला सिरोही (राज.)
6. मदन पुत्र लछाजी जाति खारोल (खारवाल) निवासी ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर हाल नाड़ी में स्कूल के पास, पचपदरा, जिला बाड़मेर (राज.)
7. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के. चौधरी

रेस्पोडेण्ट संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22/7/19

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा ग्राम सुन्देलाव तहसील पाली के नामान्तरकरण संख्या 150 दिनांक 07.05.1981 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र

जिला कलेक्टर, पाली

पेश किये गये। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 बावजूद तामील सम्मन के अनुपस्थित है तथा बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 6 सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम सुन्देलाव तहसील पाली के हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा किस्म सेवज दोयम व 5 बीघा 11 बिस्वा किस्म सेवज सोयम, खसरा नम्बर 168 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व 3 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 256 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा किस्म सेवज द्वितीय कुल खसरा 03 रकबा 52 बीघा 07 बिस्वा की सह–खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। उक्त सह–खातेदारी कृषि भूमि अपीलाण्ट के दादा सीमरथा पुत्र सालग कौम खारोल साकिन चाणौद तहसील बाली के नाम दर्ज रही है तथा उनकी मृत्यु पश्चात उनके वारिशान का अपने हक–हिस्से अनुसार कब्जा काश्त कायम रहा, जो आज भी बदस्तूर है। पटवार हल्का द्वारा अपीलाण्ट के दादा, पिता व भाईयों के देहान्त पश्चात जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 150 भरा गया। जिसे दर्ज करने में हल्का पटवारी द्वारा विधीक प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए, लापरवाही पूर्ण कार्य करते हुए नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 11 व 12 में सजरा अनुसार रूपा पुत्र गोर्धन की जगह "गोर्धन पुत्र रूपा" दर्ज कर दिया। जिसमें पिता को पुत्र दर्ज कर दिया व पुत्र को पिता, जो प्रथम दृष्टया ही विधी विरूद्ध होने से जैर अपील नामान्तरकरण काबिल निरस्त है। जैर अपील नामान्तरकरण जारी करने में हल्का पटवारी द्वारा न तो पक्षकारों को नोटिस दिया गया, न ही सुना गया तथा न ही उनके बयान लिए गए, मात्र गैर जिम्मेदारी पूर्वक गलत इन्द्राज कर दिया। भारत सरकार द्वारा संचालित " किसान सम्मान निधि योजना" के तहत ई–मित्र पर ऑनलाईन आवेदन करने पर खातेदारी की नकल लेने पर अपीलाण्ट को जैर अपील नामान्तरकरण में उनके नाम में हुई त्रुटि के संबंध में जानकारी होने पर उसने नकल प्राप्त कर अपील न्यायालय मे पेश की जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाकर जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोड़ेण्ट संख्या 6 ने वक्त बहस कथन किया की जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 150 भरने में हल्का पटवारी ने भूल की है। उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 11 व 12 में रूपा पुत्र गोर्धन की जगह गोर्धन पुत्र रूपा दर्ज कर दिया, जो गलत है। अगर जैर अपील नामान्तरकरण में गोर्धन पुत्र रूपा की जगह रूपा पुत्र गोर्धन किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं मूल नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट ने जब किसान सम्मान निधि योजना

जिला कलेक्टर, पाली

हेतु खातेदारी की नकले प्राप्त की तो उसे जैर अपील नामान्तरकरण में हुए गलत इन्द्राज का पता चला, तब उसने अपील न्यायालय हाजा में पेश की जो प्रथम दृष्टया पिता के स्थान पर पुत्र का नाम व पुत्र के स्थान पर पिता का नाम दर्ज होना प्रतीत होता है जिसके मध्यनजर अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार की जाती है। ग्राम सुन्देलाव तहसील पाली के हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा किस्म सेवज दोयम व 5 बीघा 11 बिस्वा किस्म सेवज सोयम, खसरा नम्बर 168 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व 3 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 256 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा किस्म सेवज द्वितीय कुल खसरा 03 रकबा 52 बीघा 07 बिस्वा अपीलाण्ट की सह–खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, जो अपीलाण्ट के दादा व पिता की खातेदारी आराजी थी, उनके देहान्त के पश्चात पटवार हल्का सुन्देलाव द्वारा दर्ज किया गया नामान्तरकरण संख्या 150 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण में अंकित सजरा अनुसार गोर्धन का पुत्र रूपा है, लेकिन नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 11 व 12 में " रूपा पुत्र गोर्धन" की जगह गोर्धन पुत्र रूपा दर्ज हो गया है। जो प्रथम दृष्टया ही राजस्व कार्मिकों की गैर ज़िम्मेदारी से उक्त गलत इन्द्राज होना स्पष्ट है, जो बिना सिमरथा के वारिसान की जांच व सुनवाई किए गया है तथा हल्का पटवारी द्वारा जैर नामान्तरकरण दर्ज करने के पश्चात उक्त नामान्तरकरण को भू. अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार पाली ने भी बिना जांच किए ही स्वीकृति दे दी, जबकि भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार ने नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व जांच की होती तो, इस प्रकार की त्रुटि नहीं होती। पत्रावली संलग्न गोरधन लाल के मृत्यु प्रमाण पत्र, रूपाराम के आधार कार्ड एवं उसके मतदाता पहचान कार्ड से स्पष्ट है कि रूपाराम के पिता का नाम गोरधन ही है। ऐसी स्थिति में जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 150 को यथावत रखा जाना न्यायाचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 150 स्वीकृती दिनांक 07.05.1981, ग्राम सुन्देलाव तहसील पाली को निरस्त किया जाकर एवं इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्व. समरथ के वारिसान की बाद जांच एवं सुनवाई कर वारिसान के सही नाम व वल्दियत दर्ज करते हुए नामान्तरकरण इन्द्राज किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार पाली को पालनार्थ मूल नामान्तरकरण के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/7/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चंद जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली